REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2223]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2014⁄कार्तिक 7, 1936
No. 2223]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2014/KARTIKA 7, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2014

**का.आ. 2788(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कालम (2) में – तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कालम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:—

सारणी

सारण					
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड कि.मी. में			
(1)	(2)	(3)			
29 56 93 235	वाराणसी – गोरखपुर खंड लखनऊ – सुल्तानपुर खंड अलीगढ़ – मुरादाबाद खंड मेरठ – हापुड़ खंड (उत्तर प्रदेश राज्य में)	किमी 2.225 से किमी 208.500 किमी 11.500 से किमी 134.700 किमी 79.000 से किमी 232.000 किमी 7.469 से किमी 66.482			

[फा. सं. एनएच-14013/9/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2014

**S.O. 2788 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

TADIE

TABLE				
National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers		
(1)	(2)	(3)		
29	Varanasi-Gorakhpur section	From Km.2.225 to Km.208.500.		
56	Lucknow-Sultanpur section	From Km.11.500 to Km.134.700.		
93	Aligarh-Moradabad section	From Km. 79.000 to Km.232.000.		
235	Meerut-Hapur section	From Km.7.469 to Km.66.482.		
	(In the State of Uttar Pradesh)			

[F. No. NH-14013/9/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2014

**का.आ. 2789(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1) (2) (3)   "24 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, रारा सं. 7, रारा सं. 11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा -उ. प्र./राजस्थान सीमा)] उत्तर प्रदेश की   तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 19, रारा सं. 24 [(किमी 27.62 से किमी 488.27 (हापुड़ तथा मुरादाबाद बाइपास सहित गाजियाबाद-म्रेरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 24ए, रारा सं. 27 [किमी 0.000 (रारा सं. 2 का किमी 211.700) से किमी 5.410 (रारा 27 का नया सरेखण) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 28बी, 28सी, रारा सं. 29, {किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी – गोरखपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 56 {किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ – सुल्तानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर] रारा सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 72ए, रारा सं. 73, रारा सं. 74, {किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर – सितारगंज – वरेली खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 76, रारा सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91   [किमी 23.600 से किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर से कबरई खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91   [किमी 23.600 से किमी 419.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91   [किमी 23.600 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91   [किमी 23.600 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91   [किमी 23.600 से किमी 19, रारा सं. 232ए, रारा सं. 233, रारा सं. 235, (किमी 7.469 से किमी 66.482   (मेरठ – हापुड़ खंड) तक खंड को छोड़कर), नई रारा सं. 330ए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 730ए, नई रारा सं.		सारणी			
24 राष्ट्राय राजमान स. 20, रारा स. 1, रारा स. 11 [किमी 17.756 स किमी 42.525 (जानरा -5. प्र.)राजस्थान साम)   तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 19, रारा सं. 24 [(किमी 27.62 से किमी 488.27 (हापुड़ तथा मुरादावाद वाइपास सहित गाजियावाद-मुरादावाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 24ए, रारा सं. 27   [किमी 0.000 (रारा सं. 2 का किमी 211.700) से किमी 5.410 (रारा 27 का नया सरेखण) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 28वी, 28सी, रारा सं. 29, {किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी – गोरखपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 56 {किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ – सुल्तानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर} रारा सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 73, रारा सं. 74, (किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर – सितारगंज – बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91   [किमी 23.600 से किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर से कबरई खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91   [किमी 23.600 से किमी 419.000 (गाजियाबाद-आलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91   [किमी 23.600 से किमी 10.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा   सं. 92, रारा सं. 93, [किमी 0.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा   सं. 96, रारा सं. 97, रारा सं. 119, रारा सं. 232ए, रारा सं. 233, रारा सं. 235, {किमी 7.469 से किमी 66.482	(1)	(2)	(3)		
931, और नई रारा सं. 931ए के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं ।	"24	तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 19, रारा सं. 24 [(किमी 27.62 से किमी 488.27 (हापुड़ तथा मुरादाबाद बाइपास सहित गाजियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 24ए, रारा सं. 27 [किमी 0.000 (रारा सं. 2 का किमी 211.700) से किमी 5.410 (रारा 27 का नया सरेखण) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 28बी, 28सी, रारा सं. 29, {किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी – गोरखपुर खंड) तक खंड को छोड़कर, रारा सं. 28बी, 28सी, रारा सं. 29, {किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी – गोरखपुर खंड) तक खंड को छोड़कर, रारा सं. 56 {किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ – सुल्तानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर} रारा सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर, रारा सं. 72ए, रारा सं. 73, रारा सं. 74, {किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर – सितारगंज – बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 72ए, रारा सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 76, रारा सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर से कबरई खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 419.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 92, रारा सं. 93, [किमी 0.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 96, रारा सं. 97, रारा सं. 119, रारा सं. 232ए, रारा सं. 233, रारा सं. 730, नई रारा सं. 730ए, नई रारा सं.		की	
		को छोड़कर}, रारा सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 76, रारा सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर से कबरई खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 419.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91ए, रारा सं. 92, रारा सं. 93, [किमी 0.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 96, रारा सं. 97, रारा सं. 119, रारा सं. 232ए, रारा सं. 233, रारा सं. 235, {किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ – हापुड़ खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 330ए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 730ए, नई रारा सं.			

[फा. सं. एनएच-14013/9/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

**टिप्पण**: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 2237 (अ), तारीख 5 सितंबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था ।

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 29th October, 2014

**S.O. 2789(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned

shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

## TABLE

(1)	(2)	(3)
"24	So much of National Highways No.2A, No.7, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km	State
	42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)], No.19, No.24 [excluding from Km. 27.62 to Km.	Government of
	488.27 (Ghaziabad – Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and	Uttar Pradesh".
	Moradabad bypasses), No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH	
	No.2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, No. 28C, No.29 [excluding from	
	Km. 2.225 to Km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur Section)}, No.56 {excluding from Km.	
	11.500 to Km. 134.700 (Lucknow-Sultanpur Section)}, No.58 [excluding from Km. 52.250	
	to Km. 152.00 (Meerut- Muzaffarnagar - Uttar Pradesh /Uttarakhand Border)], No.72A,	
	No.73, No.74 {excluding from Km. 264.000 to Km. 342.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly	
	Section)}, No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya	
	Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], No.76, No.86 [excluding From km. 7.43 to Km.	
	130.100 (Kanpur to Kabrai section)], No. 91[excluding from km. 23.600 to Km. 414.000	
	(Ghaziabad-Aligarh-Kanpur section)], No.91A, No.92, No.93 [excluding from Km. 0.00 to	
	Km. 232.000 (Agra- Aligarh-Moradabad section), No.96, No.97, No.119, No. 232A, No.	
	233, No. 235 {excluding from Km. 7.469 to Km. 66.482 (Meerut-Hapur Section)}, New	
	No. 330A, New No.730, New No. 730A, New No.931, and New No.931A as are situated	
	within the State of Uttar Pradesh.	

[F. No. NH-14013/9/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot note:—The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2237 (E), dated the 5<sup>th</sup> September, 2014.